GOVERNMENT OF INDIA(भारत सरकार)

MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)

RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

****

No.2014/TG-I/23/PRS Terminal **New Delhi, dated 01.09.2014**

General Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 35 OF 2014)

Sub: Introduction of scheme for establishment and operation of Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK)

Ref: Commercial Circular No. 33/2014 dated 8.8.2014

Western Railway, vide letter No. C 550/17/0/YTSK has sought certain clarifications regarding the YTSK Scheme circulated vide CC No. 33/2014. The issues raised by WR along with clarifications are as under:-

S.No.	Item	Remarks
1	Whether all IRCTC e-ticketing agents, RTSAs who have opted to become e-ticketing agents, RTSAs who have opted not to become e-ticketing agents, JTBS can apply under the scheme.	The scheme is open for all kinds of railway ticketing agents with minimum five years of experience, including JTBS, RTSA, RTA and agents appointed by IRCTC
2	In reference to para 5.1 of the scheme, the mode of payment i.e. cash, DD, FDR or TDR, to be taken as non-refundable registration fee of Rs 5 lakh, may be specified.	The registration fee may be in form of a Demand Draft or cash
3	Who shall be the accepting authority for accepting the recommendations of the JAG level screening committee?	The CCM(PM)/CCM(PS) of the concerned Zonal Railway shall be the accepting authority.
4	Whether the Traffic Accounts office as mentioned in para 10.3 of the circular is the office of Dy CAO(TA) or the station TIA?	The refund statement should be submitted to the office of Dy. CAO(TA)
5	In terms of para 3.7 of the circular, whether UTS rolls are also to be provide free of cost?	Yes, UTS rolls are also to be provided free of cost.
6	Who shall be the competent authority to issue character certificate to YTSK agents (para 2(iv) of the scheme	No character certificate is required since all the YTSK Licensees are already authorised ticketing agents.

7	In case the YTSK licensee prefers to purchase the hardware equipment directly, CRIS may share the specifications with railways so that the same can be passed on to the YTSKL.	CRIS has been advised in this regard.
8	The minimum dimension area for office set up and queuing space may be specified in terms of para 3.4 of the scheme.	Ministry of Railways has framed broad guidelines of the scheme. Working instructions for implementing the same can be finalised by Zonal Railways with the approval of the concerned department.
9	Standard agreement can be circulated so that the JPO can be finalised at the earliest.	The issue is under process. This is a part of the standard agreement.
10	The penalty amount per case may be defined in reference to para 9.9 of the scheme.	The minimum amount of penalty will be Rs 500/- per violation. In case of repeated violation, the competent authority can examine the feasibility of terminating the license.
11	Necessary guidelines about termination and Arbitration clause for the scheme may be provided.	The issue is under process. This is a part of the standard agreement.

2. This issues with the concurrence of Finance & Accounts Directorates of Ministry of Railways.

(Dr. S.K. Ahirwar)
DTC(G)/Railway Board

No.2014/TG-I/23/PRS Terminal **New Delhi, dated 6.10.2014**

Copy to :

FA&CAO, all Zonal Railways
Director (Audit), All Zonal Railways

For, Financial Commissioner, Railways

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. 2014/टीजी-I/23/पीआरएस टर्मिनल **नई दिल्ली, दिनांक 01.09.2014**

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें

(2014 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 35)

विषय : यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) स्थापित करने और परिचालित करने की योजना आरंभ करना।

संदर्भ : दिनांक 8.8.2014 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33/2014

पश्चिम रेलवे ने पत्र सं. सी550/17/0/वाईटीएसके के माध्यम से वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33/2014 के तहत परिपत्रित वाईटीएसके योजना के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। पश्चिम रेलवे द्वारा उठाए गए मुद्दे एवं उनके स्पष्टीकरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	मद	टिप्पणी
1	क्या सभी आईआरसीटीसी ई-टिकटिंग एजेंट्स, आरटीएसए, जिन्होंने ई-टिकटिंग एजेंट बनने का विकल्प दिया है, आरटीएसए, जिन्होंने ई-टिकटिंग एजेंट नहीं बनने का विकल्प दिया है, जेटीबीएस इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।	यह योजना जेटीबीएस, आरटीएसए, आरटीए और आईआरसीटीसी द्वारा नियुक्त एजेंटों सहित उन सभी प्रकार के रेल टिकटिंग एजेंटों के लिए खुली है, जिनके पास न्यूनतम पांच वर्षों का अनुभव हो।
2.	इस योजना के पैरा 5.1 के अनुसार, 5 लाख रुपए के नॉन-रिफंडेबल पंजीकरण शुल्क के रूप में लिए जाने वाले भुगतान की विधि अर्थात् नगद, डीडी, एफडीआर या टीडीआर को विनिर्दिष्ट किया जाए।	पंजीकरण शुल्क डिमांड ड्राफ्ट या नगद के रूप में हो सकता है।
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर की स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए स्वीकारकर्ता प्राधिकारी कौन होगा?	संबंधित क्षेत्रीय रेलों के सीसीएम(पीएम)/सीसीएम(पीएस) स्वीकारकर्ता प्राधिकारी होंगे।
4.	क्या परिपत्र के पैरा 10.3 में यथा उल्लिखित यातायात लेखा कार्यालय डिप्टी सीएओ(टीए) या स्टेशन टीआईए का कार्यालय है।	रिफंड विवरण डिप्टी सीएओ(टीए) के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
5.	परिपत्र के पैरा 3.7 के अनुसार, क्या यूटीएस रॉल भी नि:शुल्क मुहैया कराए जाने हैं।	हां, यूटीएस रॉल भी नि:शुल्क मुहैया कराए जाने हैं।
6.	इस योजना के वाईटीएसके एजेंटों (पैरा 2(iv)) को चरित्र प्रमाणपत्र जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी कौन होगा।	किसी चरित्र प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी वाईटीएसके लाइसेंसधारी पहले से ही अधिकृत

		टिकटिंग एजेंट हैं।
7.	यदि वाईटीएसके लाइसेंसधारी हार्डवेयर उपकरण सीधे खरीदना चाहते हैं तो क्रिस विशिष्टियों का आदान-प्रदान रेलों से कर सकता है ताकि उसे वाईटीएसकेएल को दिया जा सके।	इस संबंध में क्रिस को सूचित कर दिया गया है।
8.	इस योजना के पैरा 3.4 के अनुसार, ऑफिस सेटअप और कतार बनाने के लिए न्यूनतम परिमाप क्षेत्र निर्धारित किया जा सकता है।	रेल मंत्रालय ने इस योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। क्षेत्रीय रेलें इसे कार्यान्वित करने के लिए कार्यप्रणाली से संबंधित अनुदेश संबंधित विभाग के अनुमोदन से जारी कर सकती हैं।
9.	मानक करार परिपत्रित किया जा सकता है ताकि जेपीओ को शीघ्र अंतिम रूप दिया जा सके।	मामला प्रक्रियाधीन है। यह मानक करार का एक हिस्सा है।
10.	इस योजना के पैरा 9.9 के संदर्भ में प्रत्येक मामले के जुर्माने की राशि परिभाषित की जा सकती है।	उल्लंघन करने पर प्रत्येक बार 500/- रुपए की न्यूनतम जुर्माना राशि होगी, बार-बार उल्लंघन करने पर, सक्षम प्राधिकारी लाइसेंस समाप्त करने की संभावना की जांच कर सकते हैं।
11.	इस योजना की समाप्ति और मध्यस्थता खण्ड के बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश मुहैया कराए जा सकते हैं।	यह मामला प्रक्रियाधीन है। यह मानक करार का एक भाग है।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त एवं लेखा निदेशालयों की सहमति से जारी किया जाता है।

(डॉ. एस. के. अहिरवार)
निदेशक यातायात वाणिज्य (सा.)/रेलवे बोर्ड
नई दिल्ली, दिनांक 01.09.2014

सं. 2014/टीजी-I/23/पीआरएस टर्मिनल

प्रतिलिपि प्रेषित :

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें
निदेशक (लेखा परीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें

मनोज दुबे

कृते वित्त आयुक्त, रेलें